वार्षिक रिपोर्ट

सत्र 2014–2015

शिवमंगल शिक्षण समिति

(कार्यक्षेत्र –सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश)

Website - www.shivmangalwel.org

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED ORGANISATION

Registered under Societies Registration Act - 1973(44) Redgistration No-1370 Date-23 May 2003,
CGState Women and Child Development department Raipur Reg –68-B/3436/wcd/sv/2010 Dt.-10 Dec 2010
IT Act 1961- 12a DATE-09-09-2008 & 80G(V)(I) DATE-17-10-2008,
F.C.R.A. Under Rssistration act 1976,REDG.DATE-31-07-2009
NGO PARTNERSHIP SYSTEM-PLANNING COMMISSION,GOVT.OF INDIA,UNIQUE AGENCY CODE-CG&72009/0001541-DATE-17.JULY.2009

–:पंजीकृत कार्यालयः–
डी/3, शिवमंगल भवन,
सोनगंगा कालोनी, पोस्ट–एस.ई.सी.एल.
सीपत रोड़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

–:प्रशासनिक कार्यालयः–
मौर्या चेम्बर, मौर्या फेब्रिकेशन के ऊपर,
साइंस कालेज रोड़, चांटीडीह सब्जी मंडी के पास,
चांटीडीह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

मोबाईल नम्बर–09424142742, 07752.–258052
ई–मेल–smssociety@gmail.com, smss.jmourya@gmail.com

अध्यक्ष की कलम से.....

1. मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **शिव मंगल शिक्षण समिति**, द्वारा 2003 से पंजीकृत वर्ष से ही लगातार संचालित हैं और प्रति वर्ष की तरह इस **वर्ष 2014–15** मे भी समिति ने अपने निर्धारित उद्दश्यों व लक्ष्यों के अनुसार समाज के उत्थान एवं मानव सेवा एवं समाज कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजन सफलता पूर्वक संचालित किया गया। बिलासपुर जिला सहित छत्तीसगढ राज्य के कई जिलो मे एक अलग छवि बनाते हुए पटल पर प्रस्तुत हुयी हैं। समिति द्वारा **वर्ष 2014–15 (1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक) (अ.) स्थायी कार्यक्रमो मे – (1) महिलाओ के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिये क्राफ्ट सेन्टर (सिलाई कढाई और वस्त्र शिल्पकारी) प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन, (2) कामकाजी माताओ के शिशुओ और बच्चो के लिये शिशु गृह (वात्सल्य गृह) का संचालन, (3) मानव तस्करी सहित व्यवसायिक यौन के व्यापार के शोषण के पीडितो के लिये उज्जवला गृह (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह) संचालन, (ब.) समय बध्द कार्यक्रमो मे – (1) हस्तशिल्पकारो को परिचय पत्र का ंवितरण, (2) बांस शिल्पकारो के सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण के लिये शिल्पकार समूह गठन, (3) बेटी बचाओ बेटी पढाओ प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (4) उपभोक्ता जागरूकता प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (5) शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, (6) शहरी शिल्पकारो के सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण के लिये शिल्पकार समूह गठन, (7) स्वच्छता जागरूकता प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (8) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम,** का सफल संचालन किया गया है।

शिव मंगल शिक्षण समिति, छ.ग. राज्य पंजीकरण अधिनियम **1973** (44) के अंतर्गत पंजीकृत स्वंयसेवी सामाजिक संस्था हैं । जो नगरीय गरीब एवं ग्रामीण समुदाय के विकास, आय सृजन के लिये कौशल प्रशिक्षण लैंगिक असामानता दूर करने, सामाजिक न्याय एव शान्ति और सौहाद्र के लिए जनसहभागिता को प्रेरित करने हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील हैं। संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य है।

वर्तमान में **शिव मंगल शिक्षण समिति** जिला बिलासपुर एवं नवगठित जिला मुंगेली के ग्रामीण अंचलो में उपेक्षित जनसमुदाय हेतु विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के सरकारी कार्यक्रम जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को केन्द्रित करते हुए समुदाय को शिक्षित करने की दशा में कदम बढ़ा रही हैं।

अंत में, मैं उन सभी सलाहकारों, स्वंयसेवकों तथा समस्त शुभचिन्तक सदस्य के सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सभी सदस्यों का सामाजिक उत्थान के लिये सहयोग मिलता रहेगा।

अध्यक्ष

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2014–15

(1.) कामकाजी माताओ के बच्चो के लिये पालनाघर (वात्सल्य गृह)
(2.) क्राफ्ट सेंटर बिलासपुर पिछडा वर्ग की महिलाओ के हितार्थ)
(3.) उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह) का संचालन
(4.) शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार
(5.) महिला सशक्तिकरण के लिए समूह गठन एवं प्रशिक्षण
(6.) ग्रामीण उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम
(7.) बॉस शिल्पी सशक्तिकरण के लिये समूह गठन
(8.) नगरीय शिल्पी सशक्तिकरण के लिये समूह गठन
(9.) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
(10.) कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2014–15

कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार :–

शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हर उम्र के पुरूषो,महिलाओ,बच्चो के लिए कोई न कोई योजना (एक से अधिक भी) निश्चित रूप से संचालित है, परंतु विडंबना यह है कि बरसों से संचालित ऐसी कई योजनाएँ हैं, जिनकी आम जनता को आज भी पूर्ण जानकारी नही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंतनीय है। योजनाओ के प्रचार प्रसार के लिए संस्था द्वारा स्वयं के वित्तिय संसाधनो से इस वर्ष भी योजना मार्गदर्शिका का प्रकाशन एवं वितरण किया गया

भारत सरकार के मंत्रालयों की **वेबसाइट** में दर्ज योजनाओं तथा छत्तीसगढ राज्य शासन की ओर से प्रकाशित "**राहें विकास की 2011**" पुस्तक को आधार बनाकर, योजनाओं की सूची तैयार की गई। इसी आधार पर योजनाओं की पुस्तिका तैयार की गई जिसका प्रचार प्रसार एवं निशुल्क वितरण किया गया।

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी मंत्रीगण,विधायक गण, सांसद और जनप्रतिनिधियो तक इस पुस्तिका के माध्यम यह प्रयास किया गया कि शासन की कल्याण कारी योजनाए की पहुंच धरातल तक हो सके बनाने संदेश दिया

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, स्थानीय निकाय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत के प्रमुख अधिकारी वर्ग एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियो को योजना मार्गदर्शिका निःषुल्क डाक से वितरीत कराया गया।

पंजीकृत संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ जिला प्रशासन एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कर्मचारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों, स्वसहायता समूहों को पुस्तिका निःशुल्क डाक से वितरण कराया गया।

अन्य प्रदेशो एवं क्षेत्रों में सेवा भावी संस्थाओ की मांग के अनुसार मध्यप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि क्षेत्रों में भी निःशुल्क वितरण किया गया साथ ही साथ संस्था प्रशासनिक कार्यालय में योजना की जानकारी एवं पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

प्रगति प्रतिवेदन

क्राफ्ट सेंटर

(1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहायता से तथा छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य

स्तरीय स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ अनुदान अनुसंशा समिति द्वारा अनुमोदित तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर की अनुसंषा से जिले में पिछडा वर्ग की महिलाओं के सषक्तिकरण के लिए क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर का संचालन जारी रखा गया।

सत्र के प्रारंभ में जिले में क्राफ्ट सेंटर में प्रवेश हेतु योजना का प्रचार प्रसार किया गया।

अप्रेल माह के अन्तिम सप्ताह तक क्राफ्ट सेंटर में प्रवेश हेतु पिछडा वर्ग की आवेदन परीक्षण उपरान्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कुल 50 हितग्रहियों को प्रवेश देने हेतु योग्य पाया गया।

प्रशिक्षण के प्रारंभिक माह में क्राफ्ट क्या है क्राफ्ट का परिचय सिलाई मशीन एवं उपयोग होने वाले औजारों का परिचय, सिलाई के तकनीकी शब्द मशीनों का उपयोग कैसे करें मशीनों का रख रखाव बताया गया। काज का प्रकार, काज

बनाना, काज की फिनिशिंग बटन के प्रकार, तुरपाई, तुरपाई का टांका, काज का टांका, सिलाई के विविध स्परूप टांका के सभी प्रकार आदि का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया।

प्रशिक्षण मे महिलाओं पुरूषों बालक, बालिकाओं, शिशुओं के शारीरिक कद काढी का परिचय एवं माप लेने का तरीका कपडों पर कटिंग हेतु चिन्ह डालना, कपडों की कटिंग करना। गला आस्तिन, बाजू, जेब कालर, कमर आदि का माप कपडों की कटिंग का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को सिलाई का तरीका, सिलाई से साज सज्जा सिलाई की फिनिसिंग बताया गया।

15 अगस्त 2014 को प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी, संस्था प्रमुख पालकों, अभिभावकों की उपस्थिति में राश्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करने स्वतंत्रता दिवस का पर्व बडे धूमधाम से मनाया गया।

शिशुओं, लडकों, लडकियों, महिलाओं, पुरूषों के पोशाक एवं सहायक वस्त्र, शिशुओं के मुलायम जूते,नाईट सूट, बेबीसूट, स्लीपिंग बैग आदि का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दी गई।

प्रशिक्षार्थियों को स्कर्ट, फ्राक शमीज, कुरता, सलवार, पेटीकोट, ब्लाउस, नाईटसूट, नाईटी, पैजामा, बुशर्ट, जीन्स, बेलबाटम, नेरोकट, सफारी कमीज, का

प्रशिक्षण दिया गया। तीसरे एवं 4 थे सप्ताह से पूर्व प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति कराई, त्रुटियों का सुधार, पुनः प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक ज्ञान दिया गया।

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को कढाई का प्रशिक्षण के अन्तर्गत कढाई का परिचय, कढाई के प्रकार, कढाई की डिजाईनें कढाई का इतिहास आदि का प्रशिक्षण एवं ज्ञान कराया गया। कढाई में उपयोगी औजार, डिजाईन बनाने, उतारने का तरीका, पेपर कपडा कार्बन, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग व्हील आदि का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

विभिन्न प्रकार के कपडों पर डिजाईन उतारने डिजाइनों का प्रिंट तैयार करने, डिजाईनों का चिन्ह डालने आदि का प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न रंगों के धागो का डिजाइनों में उपयोग डिजाइन के लिए रंगीन धागों का चयन का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया।

माह दिसंबर में कढाई के टांके पेच वर्क का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ऑवले का टांका, जंजीर कढाई, काज का टांका पोला टांका, कच्छी कढाई, बंगाली टांका, मछली टांका, देशी कढाई टांका, छाया कढाई टांका, पेंच वर्क आदि प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक कार्य कराया गया।

प्रशिक्षुओं को क्रेशिया एवं सलाईयों से बुनाई का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। क्रेशिया एवं धागों से डिजाईन बनाना, धागों से साज सज्जा के समान तैयार करना, परदा, टेबल पर बिछाने का सामान, सजावटी वस्तुए, घरेलू साज सज्जा के लिए सामानों का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया।

सलाईयों से बुनाई उनी एवं गरम कपडों की बुनाई प्रषिक्षण एवं व्यवहारिक कार्य कराया गया। 10 जनवरी से प्रशिक्षार्थियों को बुनाई मशीन से बुनाई प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। सीधी एवं खडी बुनाई, सीधी उल्टी बुनाई, जंजीर बुनाई, उनी व गरम कपडों की बुनाई, श्वेटर में डिजाईन, डिजाईन का प्रकार डिजाइन बनाने के तरीके, षाल बनाना आादि प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

कपडा क्राफ्ट क्या है कपडा क्राफ्ट की डिजाइनें बनाने, सजाने, गढनें के तरीका का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। परीक्षा से पूर्व दियें गये प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति की गई कोर्स को दुहराया गया।

मार्च 2015 में सैद्धांतिक, व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के अन्तिम दिवस पर मौखिक परीक्षा तर्क परीक्षा लिया गया। मार्च के अन्तिम सप्ताह में परिणाम घोषित किये गये एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया।

प्रगति प्रतिवेदन

कामकाजी माताओ के बच्चो के लिये पालनाघर (वात्सल्य गृह)

(1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)

भारत सरकार के केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पोशित एवं छत्तीसगढ राज्य समाज कल्याण बोर्ड रायपुर के सहयोग से राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह परियोजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा बिलासपुर के नगरीय क्षेत्र में झुग्गी झोपडी बहुल कामकाजी माताओ मजदूर बहुल, गंदी बस्ती क्षेत्रों मे रहने वाली कामकाजी माताओं के शिशुओं एवं बच्चों के शैक्षणिक, , शारीरिक, मानसिक एवं उनके सर्वागीण विकास के लिए 4 शिशु केन्द्रों का संचालन जारी रखा गया।

संस्था द्वारा परियोजना की मूल भावना एवं उद्धेश्यों को ध्यान में रखकर पूर्व स्थापित क्षेत्र चाटीडीह, चिंगराजपारा के सुभाष चौक,राजीव नगर एवं विश्वकर्मा मोहल्ला एवं सरकण्डा लम्बोदर नगर मे परियोजना जारी रखा गया ।

संचालित सभी शिशुकेन्द्रों का गाईड लाईन के अनुसार संचालन जारी है नियमित पूरक आहार के रूप में मौसमी फल हलुवा, अंकुरित हरामूंग तथा पौष्टीक पूरक आहार का वितरण किया जाता है। शिशुओं

एवं बच्चों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा तथा आवष्यकतानुसार दवाओं का वितरण किया जाता है।

शिशुकेन्द्रों के सुचारू रूप सें संचालन सुव्यवस्थित संचालन, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिष्चित करने, व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करने, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढाने के लिए व्यवस्था संचालन समिति का गठन किया गया। आवश्यकतानुसार प्रति 3 माह मे बैठक आयोजित करके विचार विमर्श किया जाता है। सुझाव लिये जातें है तथा व्यवस्था संबंधी मार्गदर्शन लिया जाता है।

संस्था द्वारा संचालित सभी शिशुगृह मे इस वर्ष शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयन्ती का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ राज्य समाज कल्याण बोर्ड रायपुर के निर्देशानुसार शिशुगृह कार्यकर्ताओं का मानदेय चेक से जारी रखा गया। कल्याण अधिकारी के सुझाव एवं दिशा निर्देशो का पालन किया गया

बॉस शिल्पकारों क समूह गठन :–

संस्था द्वारा विगत वर्ष में जिला बिलासपुर के नगरीय क्षेत्र, विकासखण्ड बिल्हा, विकासखण्ड तखतपुर एवं विकासखण्ड मस्तुरी कुल 608 बॉस शिल्पकार के परिवार का बेस लाईन सर्वे, सामुदायिक आवष्यकताओं का सर्वेक्षण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का आंकलन तथा उनके रीति–रिवाज, परम्पराएं,

मान्यताए, उनकी कला और क्रियाकलाप का अध्ययन किया गया था। डाटा संग्रहण किया गया था। इन शिल्पकारो के सशक्तिकरण के लिये समूह गठन कराया गया।

हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

:— संस्था द्वारा नगरीय क्षेत्र की घरेलू उद्यम लगी हुयी महिलाओ, नवयुवतियो को जूट शिल्प की परम्परागत शैली से अलग हटकर नवीनतम और आधुनिक शैली, डिजाईनो के सामान तैयार करने के लिये हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमति सुकरिता कश्यप, रायपुर जूट शिल्पकारीगर के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

प्रशिक्षण मे 30 महिलाओ एवं नवयुवतियो ने बडे उत्साह से बढचढकर भाग लिया। संस्था द्वारा शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र मे आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे जूटशिल्प के नवीनतम डिजाईन, बाजार की मांग के अनुसार डिजाईन, नई एवं नवीनतम विधियो से जूटशिल्प के सामान तैयार करने हेतु शिल्पीयो को जूट शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया। इसकें अन्तर्गत जूट शिल्प के विकास के अन्तर्गत जूट, एवं सिन्थेटिक कपडो से तैयार किये जाने वाले बहु उपयोगी सामानो को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अवधि मे महिलाएं एवं नवयुवतियो द्वारा पर्स, व्यक्तिगत बेग, झोला, बेग, कमर के लिये कमर बंद (बेल्ट), घरेलू साज सज्जा के सामान, होम डेकोरेशन के सामान एवं अन्य उपयोग के सामानो के बनाने (उत्पादन) का प्रशिक्षण दिया गया।

उज्जवला गृह (पुनर्वास गृह)

(1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)

प्रगति प्रतिवेदन

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से एवं कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर की अनुसंशा एवं भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की गाईड लाईन के अनुसार संस्था द्वारा बिलासपुर मे उज्जवला सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह का संचालन 2014–15 मे भी जारी रखा गया।

संस्था द्वारा राजकिशोर नगर बिलासपुर मे उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास) गृह का संचालन जारी रहा। परियोजना **1 अप्रेल 2014** से संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ताओ द्वारा बिलासपुर नगर मे यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर मे उज्जवला गृह की स्थापना का लक्ष्य, उध्देश्य, हितग्राहियो को दी जाने वाली सूविधाएं, व्यक्तिगत एवं मौलिक सूविधाएं, भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित परामर्श और मानसिक उपचार की सूविधा सहित आय सृजन की गतिविधियो के लिये प्रशिक्षण, अदालत एवं विवाद के निपटारा के लिये विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से उज्जवला गृह के लिये नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा पीडितो को दाखिला दिलाने के लिये नगरीय थाना मे थाना–सरकण्डा, थाना– सिविल लाईन, महिला थाना, थाना– तोरवा, थाना– तारबहार, सहित नगर सीमा के बाहरी थाना मे थाना– कोनी, थाना– चकरभाठा, थाना– सीपत, थाना– मस्तुरी, थाना– हिर्री एवं थाना– तखतपुर सहित निकटतम जिला के थाना– मुंगेली, थाना– लोरमी, थाना– पामगढ, थाना–जांजगीर चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं

सम्पर्क बनाये रखा गया। लगातार सम्पर्क एवं संवाद के लिये उज्जवला गृह मे दूरभाष कनेक्शन लगवाया गया।

उज्जवला गृह मे प्रथम छमाही मे पीडितो की दाखिला की क्रमांक 062 से 082 रहा। पिछले वर्ष शेष हितग्राही–05 इस वर्ष 2014–15 प्रथम छमाही मे नया दाखिला संख्या 21 कुल संख्या 26 तक पहुंची।

टेबल–1– दाखिला विवरण की स्थिति – 1 अप्रेल से 14 से 30 सितम्बर 2014 प्रथम छमाही

1	Number of Beneficiaries in the Home					
	Age Specification	**0-5 yrs**	**06-14 yrs**	**15-18 yrs**	**above 18**	**Total**
	No. of Beneficiaries on the first day of the quarter (A)	**00**	00	02	03	05
	New Admission During the quarter (B)	**00**	00	01	20	21
	Referred by CWC	00	00	00	00	00
	Referred by NGOs/Staffs	**00**	00	00	07	07
	Referred by Police	00	00	01	13	14
	Referred by Childline/other helplines	00	00	00	00	00
	Referred by others	00	00	00	00	00

प्रथम छमाही मे इन पीडितो को मौलिक सूविधा सहित भोजन शिक्षा, विधिक सहायता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने सहित काउन्सिलिंग की गई इनमे से 02 नाबालिग पीडितो को बाल कल्याण समिति बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं 24 पीडितो को आय सृजन की गतिविधियो के लिये प्रशिक्षण की सूविधा दी गई। प्रथम छमाही की पुनर्वास एवं पीडितो की स्थिति इस प्रकार रहा –

टेबल–2 – पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण के विवरण की स्थिति –

1 अप्रेल से 30 सितम्बर 2015 प्रथम छमाही की स्थिति

Age Specification	**0-5 yrs**	**06-14 yrs**	**15-18 yrs**	**above 18**	**Total**
Beneficiaries who have moved out from the institution during the quarter (C)	**00**	**00**	**01**	**18**	**19**
Transferred to other homes	00	00	01	18	19
Reunified with Family	00	00	00	00	00
Transferred to the Home state	00	00	00	00	00

	Transferred to the home countries	00	00	00	00	00
	Self Employed/Placed with a job	00	00	00	00	00
	Runaway/Missing	00	00	00	00	00
	Death	00	00	00	00	00
	Others	00	00	00	00	00

टेबल–3 – पीडितो का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रेल 2014 से 30 सितम्बर 2015 प्रथम छमाही के पीडितो की स्थिति

2	**Rescue Details** बचाव का विवरण	**From Commercial Sexual Exploitation** व्यावसायिक यौन शोषण से	**From threat of getting trafficked** मानव तस्करी के खतरे से	**Others** अन्य	**Total** योग
	Number of Beneficiaries rescued within the district जिला से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	17	09	00	26
	Number of Beneficiaries rescued from the state राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	00	00	00	00
	Number of Beneficiaries rescued from other states अन्य राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	00	00	00	00
	Total योग	**17**	**09**	**00**	**26**

उज्जवला गृह मे दुसरे छमाही के अन्त मे उपस्थित पीडितो की संख्या 07 एवं नया दाखिला की संख्या 29 और दाखिला क्रमांक 111 तक हुआ। नया प्रवेश दाखिला 029 हुआ। इस छमाही मे कुल संख्या 036 तक पहुंची। दुसरे छमाही की दाखिला एवं पुनर्वास की स्थिति इस प्रकार रहा –

टेबल–1– दाखिला विवरण की स्थिति – 1 अक्टुबर 2014 से 31 मार्च 2015 दुसरे छमाही

1	**Number of Beneficiaries in the Home**					
	Age Specification	**0-5 yrs**	**06-14 yrs**	**15-18 yrs**	**above 18**	**Total**

No. of Beneficiaries on the first day of the quarter (A)	**00**	00	02	05	07
New Admission During the quarter (B)	**01**	01	01	26	29
Referred by CWC	00	00	00	00	00
Referred by NGOs/Staffs	**00**	00	00	04	04
Referred by Police	01	01	01	12	15
Referred by Childline/other helplines	00	00	00	07	07
Referred by others Civil Court	00	00	00	03	03

दुसरे छमाही मे इन पीडितो को मौलिक सूविधा सहित भोजन शिक्षा, विधिक सहायता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने सहित काउन्सिलिंग की गई इनमे से 02 नाबालिग पीडितो को बाल कल्याण समिति बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं 34 पीडितो को आय सृजन की गतिविधियो के लिये प्रशिक्षण की सूविधा दी गई। दुसरे छमाही की पुनर्वास एवं पीडितो की स्थिति इस प्रकार रहा –

टेबल–2 – पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण के विवरण की स्थिति –

1 अक्टुबर 2014 से 31 मार्च 2015 दुसरे छमाही

Age Specification	**0-5 yrs**	**06-14 yrs**	**15-18 yrs**	**above 18**	**Total**
Beneficiaries who have moved out from the institution during the quarter (C)	**00**	**01**	**00**	**20**	**21**
Transferred to other homes	00	01	00	00	01
Reunified with Family	00	00	00	14	14
Transferred to the Home state	00	00	00	06	06
Transferred to the home countries	00	00	00	00	00
Self Employed/Placed with a job	00	00	00	00	00
Runaway/Missing	00	00	00	00	00
Death	00	00	00	00	00
Others	00	00	00	00	00

टेबल–3 – पीडितो का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अक्टुबर 2014 से 31 मार्च 2015 दुसरे छमाही

2	**Rescue Details** बचाव का विवरण	**From Commercial Sexual Exploitation** व्यावसायिक यौन शोषण से	**From threat of getting trafficked** मानव तस्करी के खतरे से	**Others** अन्य	**Total** योग
	Number of Beneficiaries rescued within the district जिला से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	22	07	00	29
	Number of Beneficiaries rescued from the state राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	00	00	00	00
	Number of Beneficiaries rescued from other states अन्य राज्य से बचाव किये गये हितग्राही की संख्या	00	00	00	00
	Total योग	**22**	**07**	**00**	**29**

संस्था द्वारा वर्ष 2014–15 मे **1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015** तक कुल दाखिल हितग्राहियो की संख्या 050 तक पहुची। जिनमे से 40 हितग्राहियो का पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण किया गया है। कुल 40 हितग्राहियो का पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण संस्थागत कार्यकर्ताओ के माध्यम से किया गया है। वर्तमान मे 10 हितग्राहियो के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया का प्रयास और प्रशिक्षण जारी है।

नगरीय शिल्पकारो के सशक्तिकरण के लिये समूह गठनः—

संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा स्ववित्तिय संसाधनो से नगरीय क्षेत्र की नवोदित शिल्पी प्रतिभाओ को पहचान बनाने, शिल्प से जुडी हुई प्रतिभाओ के अवसर को बढावा देने, शिल्प से जुडी हुई प्रतिभाओ के सशक्तिकरण के लिये शासन की विभिन्न योजनाओ के लाभ दिलाने प्रतिभा को सामने लाने के लिए शिल्पकारो के समूह गठन हेतु सर्वे प्रारंम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत शिल्प विधा को समर्पित युवाओ और ऐसे शिल्पकार जो योजनाओ से लाभवंचित है के सशक्तिकरण के लिये समूह गठन करने और उनके लिए चिन्हांकन सर्वे से कुल 200 मिश्रित शिल्पकारो का पता चला जो शिल्प के लिए समर्पित है और शासन की योजनाओ से अपरिचित है।

उपभोक्ता कल्याण हेतु जागरूकता संदेश का प्रसारः—

संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा स्ववित्तिय संसाधनो से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओ कल्याण एवं ग्रामीण उपभोक्ताओ मे जागरूकता के संदेश का प्रचार प्रसार कर्यक्रम किया गया।

संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओ ने जिला मुगेली के ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्पाद एवं उपभोक्ता वर्ग मे आंकलन और सर्वेक्षण किया गया जिससे यह बात उीार कर सामने आयी कि ग्रामीण क्षेत्रो मे अशिक्षा, अल्प शिक्षा, हीन भावना,उपभोक्ताओ मे एकता की कमी सामाजिक आर्थिक पिछडापन के कारण ग्रामीण जन गुणवत्ता के आधार पर सही उत्पाद का चयन करने मे असमर्थ, उत्पाद के मूल्यो के आंकलन मे असमर्थ,उत्पादन की तारीख और गुणवता समापन तारीख, ले पाने अथवा पढ पाने मे असमर्थ होते है। जिससे ग्रामीण उपभोक्ता लगभग ठगे जा रहे है। या यू कह ले कि ग्रामीण उपभोक्ताओ को एक लम्बे अरसे से उत्पाद खरीदने मे आर्थिक रूप से हानि उठा रहे है।

संस्था द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ताओ की जागरूकता बढाने तथा सही उत्पाद का चयन करने, उत्पाद के सही मूल्य का आंकलन करने,

उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करने, उत्पाद के निर्माण और गुणवत्ता समाप्ति तिथि को पढने समझने के ज्ञान का प्रसार करने, उपभोक्ता जागरूकता का संदेश को पम्पलेट, ब्रोसर का वितरण किया गया।

शहरी युवाओ के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षणः—

संस्था द्वारा संचालित ई टेक्नी आन सरकण्डा बिलासपुर मे नगरीय क्षेत्र के झुग्गी झोपडी बहुल बंधवापारा, सरकण्डा, चिंगराजपारा, जबडापारा, चाटीडीह, जोरापारा, अशोक नगर, डबरीपारा क्षेत्र मे रहने वाले गरीब परिवार के युवाओ को शासकिय अशासकिय एवं प्राईवेट सेक्टर मे कार्य करने स्वरोजगार स्थापना कर आय सृजन करने 30 दिवसीय निःशुल्क कम्प्यूटर बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ता आशीष पटेल एवं द्वारा संस्था द्वारा नगरीय क्षेत्र के झुग्गी झोपडी बहुल बंधवापारा, सरकण्डा, चिंगराजपारा, जबडापारा, चाटीडीह, जोरापारा, अशोक नगर, डबरीपारा नगरीय क्षेत्र मे आंकलन एवं सर्वे किया गया और निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये आवेदन आमंत्रित किया गया।

नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम मे इन युवाओ को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी प्रदाय की गई। प्रशिक्षण के पहले माह मे कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर चालु और बन्द करने का तरीका, डेस्क टॉप, की बोर्ड, माउस, कम्प्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट के बारे मे विवरण सहित बताया गया। इसमे डॉस, विण्डो डेस्क टॉप, मॉनीटर आदि का परिचय एवं कार्य बताया गया।

इस नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दुसरे माह मे इन युवाओ को कम्प्यूटर से क्या क्या कार्य किये जा सकते है। कम्प्यूटर का व्यवसायिक

उपयोग कैसे करे। इसके अन्तर्गत फाईल फोल्डर, पेज मेकर, एक्सल, माईक्रोसाफ्ट आफिस कार्य तथा सम्बन्धित कोर्स पढाये गये।

इस नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे माह मे इन युवाओ को कम्प्यूटर कोर्स मे टेली, डी. टी. पी., फोटो शॉप, इन्टरनेट कार्य के लिये कोर्स की कोचिंग किये गये।

अप्रेल 2014 से मार्च 2015 तक आयोजित इस प्रशिक्षण के प्रत्येक तिमाही मे 15 नवयुवक एवं 15 नवयुवतियो का चयन कर प्रशिक्षित किया। इस तरह से 120 युवाओ को प्रशिक्षित किया गया। जिसमे 60 नवयुवको और 60 नवयुवतियो का लाभान्वित किया गया। टेली कोर्स करने मे रूचि दिखाने वाले 30 नवयुवतियो 30 नवयुवको कुल 60 युवा इसी तरह से 25 युवाओ ने इन्टरनेट, 25 युवाओ ने डी. टी. पी., 10 युवा फोटो शॉप के लिये प्रशिक्षित किया गया।